

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 343] No. 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2019/ज्येष्ठ 16, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2019/JYAISTHA 16, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2019

सा.का.नि. 410(ब).—पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 06 जून, 2019 को उस तिथि के रूप में नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 2 के पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 71 को संशोधन करने संबंधी प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 10/44/2012-आईपीआर-III (अंश-I)]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2019

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 1 of the Patents (Amendment) Act, 2002 (38 of 2002), the Central Government hereby appoints the 6th June, 2019 as the date on which section 2 of the Patents (Amendment) Act, 2002 (38 of 2002), in so far as it amends section 71 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), shall come into force.

[F. No. 10/44/2012-IPR-III (Part-I)]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.